

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3455(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 54(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “द ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, 10/2, शमसुल हुडा रोड, कोलकाता” द्वारा “विद्यापल्ली, मलांडा, माहीनगर, साऊथ-24 परगना में ब्रेल प्रैस, पुस्तकालय, नेत्रहीनों हेतु विद्यालय, सभागार, छात्रावास हेतु बिल्डिंग का निर्माण, ब्रेल प्रेस की खरीद तथा ब्रेल प्रैस कॉम्पलैक्स का संचालन” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 500 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 29 सितंबर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1134 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया

गया था; जिसे बाद में दिनांक 4 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1405 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 14 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2603(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन और वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 648(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “द ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, 10/2, शमसुल हुडा रोड, कोलकाता” द्वारा चलायी जा रही “विद्यापल्ली, मलांडा, माहीनगर, साऊथ-24 परगना में ब्रेल प्रैस, पुस्तकालय, नेत्रहीनों हेतु विद्यालय, सभागार, छात्रावास हेतु बिल्डिंग का निर्माण, ब्रेल प्रैस की खरीद तथा ब्रेल प्रैस कॉम्पलैक्स का संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए 187.50 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 281/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Construction of buildings for Braille Press, library, blind school, auditorium, dormitory, purchase of Braille Press and running of Braille Press Complex at Vidyapalli, Malanda, Mahinagar, South-24 Parganas” which is being carried out by the “Blind Persons’ Association, 10/2, Shamsul Huda Road, Kolkata”, without any change in the approved cost of Rs.187.50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 281/2015 / F. No. V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)